5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

150

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प

भोपाल म0प्र0

निगरानी - 2854/2018/भोपाल/भू.रा. निगरानी कं.

1. तुलसीराम,
2. रामप्रसाद,
3. दुर्गाप्रसाद,

तीनो पुत्रगण स्व0 श्री जगन्नाथ,

4. खनाराम मृतक द्वारा वारिसान
   1. जमना बाई बेवा खनाराम
   2. पोषण पुत्र खनाराम
   3. नरेन्द्र पुत्र खनाराम
   4. महेन्द्र पुत्र खनाराम चारो वयस्क,

सभी निवासीगण-ग्राम करारिया फार्म,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

5. श्रीमती ज्ञानवती पुत्री खनाराम
पत्नि सुदेश कुमार, निवासी-ग्राम समनापुर,
पोस्ट मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन म0प्र0

6. मुन्नी बाई पुत्र खनाराम,
पत्नि कोमल सिंह, निवासी-खुशीपुरा,
चाँदबड़, तहसील हुजूर जिला भोपाल

7. लता बाई पुत्री खनाराम,
पत्नि मुकेश सिंह, निवासी-ग्राम भानपुर,
तेड़ा खम्भा प्रकाश पटेल के पीछे,
भोपाल म0प्र0 -- निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

कली बाई उर्फ रामकली बाई,
पत्नि उमैद सिंह, निवासी-ग्राम करारिया फार्म,
तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म0प्र0 -- प्रतिनिगरानीकर्तागण

आवेदन अभि.श्री आर.पुन मालवीय द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 25/5/18

रेखा ठाकुर क्रं.1659 सां.ली. /2014 शपथ आयुक्त, भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

निरंतर....2

माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल द्वारा प्रकरण क. 22/अपील/16-17 में दिनांक 28.03.2018 को कली बाई अपीलार्थी विरूद्ध तुलसीराम बगैरह में पारित आदेश से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हैः-

1. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि और प्रकिया के विपरीत पारित होने से निरस्त योग्य है और निरस्त किया जाये।
2. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 113 भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत प्रकरण को ग्राह्यता में लेकर वैधानिक भूल की है जो निरस्त योग्य है और निरस्त किया जाये।
3. यह कि धारा 113 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि लेखन संबंधी गलतियों का शुद्धिकरण इस धारा के अंतर्गत किया जाने का प्रावधान है। आपत्तिकर्ता निगरानीकर्ता ने बतौर अनावेदक इस प्रकरण में आपत्ति पेश की थी कि वर्ष 69-70 में हुये नामांतरण की प्रविष्टि को धारा 113 भू-राजस्व संहिता में शुद्ध नहीं किया गया जा सकता है क्योंकि यह लेखन संबंधी गलती नहीं है।
4. यह कि संहिता की धारा 113 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी गलतियों को तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को जिनके संबंध में हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हो कि वे गलतियां अधिकार अभिलेख में हुई है परंतु वे गलतियां लेखन संबंधियां होना चाहिए परंतु इस प्रकरण में धारा 113 के तहत जो आवेदन पेश किया गया है वह वास्तव में लेखन संबंधी त्रुटि नहीं है परंतु उपखंड अधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन निर्मित भू-अभिलेख की किसी प्रविष्टि का सुधार इस धारा

निरंतर ...3

रेखा ट
क्रं.1659
सां.क्रे. /2014
आयुक्त, भोपाल

SYS-5 puran

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2854/2018/भोपाल/भू.रा.

न्याय सदा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	आवेदकगण की ओर से श्री आर.एन. मालवीय, अभिभाषक एवं अनावेदक पक्ष की ओर से श्री गुलाब सिंह, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	